तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खेमसिंह बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 54 / 2023	

20-02-2023

अपीलार्थी खेमसिंह जोधा, निवासी ग्राम/पोस्ट शिकारपुरा, तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.12..2022 में (1) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लूणी के सरकारी वाहन RJ 19UA 6721 के वाहन चालक मनोहरसिंह के वेतन भुगतान हेतु प्रभारी जिला पूल जोधपुर में प्रस्तुत माह अक्टूबर 2022 के उपस्थिति प्रमाण पत्र की नियमानुसार प्रमाणित छाया प्रति, से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 161 दिनांक 14.02..2023 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के आवेदन पत्र में वर्णित सूचना उपखण्ड अधिकारी लूणी कार्यालय से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत प्रार्थना पत्र इस कार्यालय के पत्रांक 13 दिनांक 10.01.2023 द्वारा अंतिरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया, जिसकी प्रति प्रार्थी को भी दी गई।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेषित नहीं रही है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी लूणी को स्थानान्तरित किया जा चुका है। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि चाही गई सूचना 15 दिवस में प्रार्थी को उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने का कारण से अवगत कराया जाये आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर जोधपुर
जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)